



क्रमांक और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>11.10.19</p>	<p>न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं०-06/2019 मेसर्स साक्षी एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० (श्री दीनानाथ मित्तल, निदेशक) -बनाम- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा-देवली, थाना नं०-198, खाता नं०-04 एवं 57, प्लॉट नं०-17, 18, 19, सन्निहित रकवा-17.95 डी० भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक के आवेदन पत्र तथा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूखण्ड का पंचाट वादी के नाम से बना है। वादी के लिए तैयार पंचाट में दिया गया मूल्यांकन दर मान्य नहीं है। उक्त मौजा में भूमि का मूल्य 64,599.00 रू० प्रति डी० के दर से बिक्री हुआ है। आवेदक द्वारा उचित मूल्यांकन कर ब्याज सहित भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा अर्जित भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए निर्धारित दर पर अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रोत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p> <p> अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>	